राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2388020

क्रमांकः एनसीडी/प्रशिक्षण/2019-20/ 479 दिनांक 16.07.19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (एनसीडी)
राजस्थान।

विषयः—एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे/स्क्रीनिंग के प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देश।

संदर्भः—निदेशक (जन स्वा.) के पत्रांक एनसीडी/प्रशिक्षण/2019—20/378 दिनांक 25.06 2019 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिलों के चयनित हैल्थ वेलनेस सेन्टर (HWC) पर जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे तथा स्क्रीनिंग किया जाना है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (3 दिवस), स्टाफ नर्स (3 दिवस), एएनएम/एलएचवी (3 दिवस) तथा आशा (5 दिवस) का प्रशिक्षण जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर करवाया जाना है।

उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आपकी सुलभ सुविधा तथा जिलों में प्रशिक्षण समरूपता से हो इस हेतु आपको संलग्नानुसार आशा, एएनएम के प्रशिक्षण की PPT, Guidelines, Agenda तथा प्री—पोस्ट टेस्ट का प्रारूप पूर्व में ही भिजवा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त आपको निम्नानुसार प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान किये जाते है जिन्हें ध्यान में रखते हुये ही आपको प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करना है:—

1. उपरोक्त प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित प्रशिक्षण (ToT) द्वारा ही दिया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से ToT तैयार किये जा रहे है जिसमें समस्त बीसीएमओ, सीएससी इंचार्ज तथा प्रत्येक ब्लॉक से दो आशा ToT तैयार किये जा रहे है।
2. चूंकि आशा और एएनएम की भूमिकाएं एक दुसरे के पूरक होते हुये भी ये अलग—अलग है। इसलिए प्रशिक्षण पश्चात् उनकी योग्यताएं भी अलग—अलग होंगी। आशा का कार्य फेमिली सर्वे, स्क्रीनिंग हेतु कम्यूनिटी मॉबिलाईजेशन, स्वास्थ्य प्रोत्साहन तथा फॉलोअप है। एएनएम का असंक्रामक बीमारी की स्क्रीनिंग यथा बीएमआई, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मुंह (OVE) एवं स्तन (Clinical Breast Examination) कैंसर की स्क्रीनिंग करना तथा किया गया सर्वे एवं स्क्रीनिंग का एनसीडी पोर्टल पर इन्द्राज करवाना, रिपोर्टिंग, रैफरल एवं फॉलोअप में कुशल होना आवश्यक हैं। अतः यह आवश्यक है कि आशा एवं एएनएम के प्रशिक्षण में आशा ToT के अतिरिक्त पैरामेडिकल तथा मेडिकल स्टाफ द्वारा भी उनका प्रशिक्षण किया जावे ताकि वे उपरोक्तानुसार अपने कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकें।
3. बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की स्क्रीनिंग (VIA) HWC/पीएचसी/सीएचसी पर कार्यरत महिला सीएचओ/स्टाफ नर्स/चिकित्सक की सूची तैयार कर राज्य स्तर पर भिजवाई जावें ताकि भविष्य में नियमानसार उनका VIA का प्रशिक्षण करवाया जा सकें।
4. प्रशिक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जावें कि आशा तथा एएनएम दोनों को ही कमर की माप, लम्बाई, वजन लेने, BMI की गणना करना एवं असंक्रामक बीमारी के बचाव हेतु स्वास्थ्य प्रोत्साहन देने के संबंध में पूर्ण जानकारी हो।
5. आशा तथा एएनएम के प्रशिक्षण का अन्तिम दिन अर्थात आशा के प्रशिक्षण का 5वां तथा एएनएम के प्रशिक्षण के तीसरे दिवस पर उनकी एक साथ फिल्ड विजिट तथा पीएचसी विजिट करवाई जानी हैं ताकि उनके द्वारा लिये गये प्रशिक्षण का सही मूल्यांकन किया जा सकें। फिल्ड विजिट के दौरान आशा तथा एएनएम द्वारा लिये गये प्रशिक्षण के अनुसार कम से कम 10 घरों का फेमिली सर्वे एवं सर्वे के समय 30 या अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों की गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग यथा बीएमआई, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मुंह (OVE) एवं स्तन (Clinical Breast Examination) कैंसर की स्क्रीनिंग की जावें।

16.7.19

6. पीएचसी विजिट के समय आशा एवं एएनएम का उक्त पीएचसी पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी से परिचय करवाना तथा चिकित्सक द्वारा प्रचार–प्रसार की सामग्री, वजन, उंचाई, BMI, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेशन, ऑरल विज्वल एक्जामिनेशन इत्यादि की जानकारी देना।
7. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी का प्री एवं पोस्ट टेस्ट आवश्यक रूप से लिया जावें तथा पोस्ट टेस्ट में 70 प्रतिशत या अधिक अंक आने पर ही प्रशिक्षण में सफल माना जावें। यदि कोई प्रशिक्षार्थी 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रशिक्षण पुनः करवाया जावें।
8. आशा के प्रशिक्षण में आशा के साथ–साथ संबंधित ब्लॉक तथा पीएचसी के हैल्थ सुपरवाईजर, ब्लॉक हैल्थ सुपरवाईजर तथा पब्लिक हैल्थ मैनेजर को भी प्रशिक्षित किया जावें ताकि वे कार्यक्रम की सफल मॉनिटरिंग तथा सुपरविजन कर सकें।
9. प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान ही आवश्यक रूप से राज्य स्तर से प्रदान की गई गाईडलाईन की हार्ड कॉपी दी जावें।
10. आशा का प्रशिक्षण राज्य आशा सैल द्वारा जारी की गई एनएचएम/आरसीएच गाईडलाईन के अनुरूप ही दी जावें।
11. आशा तथा एएनएम के प्रशिक्षण के दौरान केस स्टडी तथा फिल्ड प्रेक्टिस सहित भागीदारी विधियों का उपयोग करके क्लास रूम स्टेडी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जावें। प्रशिक्षण में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेशन तथा ऑरल विज्वल एक्जामिनेशन के प्रशिक्षण हेतु प्रेक्टिकल सत्र भी शामिल किये जावें। इस हेतु प्रशिक्षुओं को हैल्थ फेसिलिटी की विजिट भी कराई जानी है। प्रशिक्षण विधियों में व्याख्यान, नैदानिक मामले प्रदर्शन और केस अध्ययन प्रस्तुतियां शामिल हो।
12. प्रशिक्षण बेच साईज में प्रशिक्षुओं की संख्या 30 से अधिक ना हो।
13. प्रशिक्षण के पश्चात् भी आशा तथा एएनएम के सुपरवाईजर द्वारा **पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट तथा ऑन जॉब मेन्ट्रिंग** दिया जाना चाहिए।

अतः आपको भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देशानुसार ही प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16.7.19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NCD/प्रशिक्षण/2019-20/ 479 दिनांक 16.7.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), मुख्यालय।
5. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी एनसीडी समस्त राजस्थान।
6. समस्त जिला एनसीडी सेल को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम।
8. कार्यालय प्रति।

16.7.19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर